



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102026-277025
CG-DL-E-10102026-277025

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5284]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5284]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5496(अ).— केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987, 2007 तथा 2011) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 80% से अधिक हो जाने के फलस्वरूप एतद् द्वारा अधिसूचित करती है :-

राष्ट्रीय वर्षा-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
प्लांट अथॉरिटी भवन, 8वां तल,
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,
पूसा, नई दिल्ली-110012

[फा. सं. 11016/1/2025-हि.नी.]

के. एम. एस. खालसा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture And Farmers Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2026

S.O. 5496(E).—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987, 2007 and 2011), the Central Government, hereby notifies the following subordinate office of the Department of Agriculture and Farmers Welfare whereof more than 80% of officers/employees have acquired working knowledge of Hindi:-

National Rainfed Area Authority,
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,
Plant Authority Bhawan, 8th Floor,
Dev Prakash Shastri Marg, Pusa,
New Delhi- 110012

[F. No. 1 1016/ 1/2025-Hindi Neeti]
K. M. S. KHALSA, Jt. Secy.